

प्रेषक,

डॉ० रजनीश कुते,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक: ०९ मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में नव सृजित 56 नगर पंचायतों (नगर पंचायत लोहता, जनपद-वाराणसी को छोड़कर) के कार्यालय भवन के निर्माण के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-8/1174/317/पंचम रा०वि०आ०/2020-21, दिनांक-05.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नवसृजित 56 नगर पंचायतों के राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत 05 किशतों की कुल धनराशि रू० 88.87 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में नवसृजित नगर पंचायतों के कार्यालय भवन निर्माण हेतु मॉडल डिजाइन तथा प्रस्ताव के साथ मॉडल डी०पी०आर० प्रति कार्यालय भवन निर्माण लागत रू० 147.86 लाख उपलब्ध कराते हुये उपर्युक्तानुसार धनराशि निकायों को अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं०-489/नौ-9-2021-133ज/20, दिनांक-23.02.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में नवसृजित नगर पंचायतों के कार्यालय भवन निर्माण कार्य एवं माडल डिजाइन हेतु सीएण्डडीएस उ०प्र० जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त नवसृजित 55 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन सीएण्डडीएस द्वारा प्रति कार्यालय भवन के लिये तैयार किये गये मॉडल डी०पी०आर० आंकलित लागत रू० 147.86 लाख के अनुसार स्वीकृत करते हुये संबंधित नगर निकायों को अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त स्वीकृति निकायों की राज्य वित्त आयोग की नगरीय निकाय निदेशालय के स्तर पर उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जा रही है:-

(1) समस्त कार्यालय भवन निर्माण कार्य भूतल पर ही किया जायेगा। कार्यालय भवन हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मी० से 2000 वर्ग मी० के मध्य ही लिया जायेगा।

(2) सीएण्डडीएस द्वारा तैयार किये गये मॉडल आगणन में भवन का क्षेत्रफल $25 \times 60 = 1500$ वर्ग मी० के आधार पर बाउण्ड्री वाल की लम्बाई 170 मी० सम्मिलित की गयी है। यदि न्यूनतम आवश्यकता 1200 वर्ग मी० के आधार पर नगर पंचायत कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाता है तो बाउण्ड्री वाल की लम्बाई कम हो जाने के कारण भवन की अनुमनित लागत के सापेक्ष बचत होगी, तदनुसार बचत की धनराशि शासनादेश संख्या-2581/नौ-9-2021-133ज/20, दिनांक-04.12.2020 में निर्धारित प्राथमिकता वाले मदों पर व्यय की जायेगी तथा भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत 2000 वर्ग मी० क्षेत्रफल पर निर्माण की दशा में बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने पर अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की व्यवस्था संबंधित नगर पंचायत द्वारा अपने स्रोतों अथवा राज्य वित्त आयोग की आगामी किशतों की धनराशि से सुनिश्चित करायी जायेगी।

(3) नवसृजित नगर पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या-2581/नौ-9-2021-133ज/20, दिनांक-04.12.2020 की व्यवस्थानुसार सम्बन्धित निकाय के प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जिन निकायों में प्रशासक नियुक्त नहीं किये गये हैं, उन पंचायतों द्वारा आहरण प्रगरी अधिकारी, स्थानीय निकाय एवं अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(4) कार्यालय भवन हेतु वांछित धनराशि मात्राकृत कर प्रथम वरीयता पर कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस को अधिशासी अधिकारी द्वारा उपर्युक्तानुसार आहरित कर आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। मात्राकृत की गयी धनराशि का व्यय इसी मद में किया जायेगा।

(5) मॉडल आगणन के सापेक्ष कार्यालय भवन के निर्माण में कम पड़ रही धनराशि (यदि कोई हो) निकाय की आगामी राज्य वित्त आयोग की धनराशि की किश्तों के माध्यम से संबंधित निकाय द्वारा कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किये जाने वाले कार्यों एवं व्यय का नियमित अनुश्रवण सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो तत्काल सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। शासन स्तर से कार्यवाही आवश्यक होने की दशा में सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुये प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

5. नगर पंचायत लोहता के राज्य वित्त आयोग के अंश की सम्पूर्ण धनराशि निकाय के खाते में अंतरित कर दी जाय।

6. उपर्युक्त प्रस्तर-03, 04 एवं 05 में उल्लिखित निर्णय के क्रम में सीएण्डडीएस द्वारा तैयार किये गये मॉडल डी0पी0आर0 को सम्बन्धित निकायों को प्रेषित करते हुये प्राथमिकता पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं तदनुसार शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(डॉ० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक. तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. समस्त सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0)।
5. सहायक वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा/से,
(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत नवसृजित 56 नगर पंचायतों हेतु
निदेशालय स्तर पर उपलब्ध धनराशि

जनपद का नाम	क्र	निकाय का नाम	धनराशि
अलीगढ़	1	गडराक	1,70,72,219
अलीगढ़	2	पिराया	68,58,715
अलीगढ़	3	चन्डोस	86,72,761
बदायूं	4	दहगवां	77,40,329
फर्रुखाबाद	5	नगावगंज	1,83,03,809
फिरोजाबाद	6	गवखनपुर	1,40,28,256
गैन्पुरी	7	बरगाहल	1,05,71,808
पीलीभीत	8	पकाड़िया नीगवां	1,15,58,148
रामपुर	9	नरपतानगर दुंदोयाला	1,12,98,433
रामपुर	10	सैफनी	1,33,80,796
रामपुर	11	दक्षिणात	1,54,57,327
सहारनपुर	12	छुटगलपुर	1,31,53,310
शाहजहाँपुर	13	बण्डा	1,55,79,821
शाहजहाँपुर	14	निगोही	1,30,01,656
बानपुरदेहात	15	भूसानगर	1,45,55,718
बानपुरदेहात	16	राजपुर	1,12,19,268
बानपुरदेहात	17	रनियां	2,27,27,689
खोसी	18	निघासन	1,71,79,708
आज़मगढ़	19	जहानगंज	1,70,40,561
आज़मगढ़	20	बूढ़नपुर	1,32,95,800
बहराइच	21	पयागपुर	1,33,74,963
बलिया	22	नगरा	1,36,10,781
बस्ती	23	भानपुर करवा	2,13,42,778
बरती	24	गायघाट	1,78,54,675
जौनपुर	25	कचगांव	1,25,23,354
जौनपुर	26	गौराबादशाहपुर	1,83,09,642
जौनपुर	27	रामपुर	1,23,36,699
कुशीनगर	28	बुर्खीली	1,33,19,132
कुशीनगर	29	फाजिल नगर	1,61,77,277
कुशीनगर	30	दुदही	1,27,24,171
कुशीनगर	31	तमकुहीराज	1,36,10,781
कुशीनगर	32	छितौनी	1,59,55,625
महाराजगंज	33	वृजमनगंज	1,64,22,263

जनपद का नाम	क्र	निकाय का नाम	धनराशि
महाराजगंज	34	पनियरा	1,58,50,635
महाराजगंज	35	परतावल	1,78,10,507
मऊ	36	कुशीजाफरपुर	1,24,70,858
प्रतापगढ़	37	सुवंशा बाजार	1,62,79,778
प्रतापगढ़	38	कोहडौर	1,48,74,034
प्रतापगढ़	39	पृथ्वीगंज	1,65,53,926
संतकबीरनगर	40	बेलहरकला एवं बेलहर	98,16,861
संतकबीरनगर	41	बाघनगर चर्फ बखिरा	2,53,03,360
सिद्धार्थनगर	42	कपिलवस्तु	1,90,73,761
सिद्धार्थनगर	43	बदनी घाफा	2,32,09,328
सिद्धार्थनगर	44	भारतगारी	2,02,34,519
सिद्धार्थनगर	45	इटावा	2,11,26,960
सिद्धार्थनगर	46	बिस्कोहर	1,85,07,963
सोनभद्र	47	डाला (पर्यती धोत्र) बाजार	1,03,59,326
सोनभद्र	48	अनपरा	4,86,99,338
सुल्तानपुर	49	लन्नुआ	1,55,27,326
वाराणसी	50	लोहता	1,52,12,345
जालौन	51	एट	80,05,521
लखनऊ	52	मोहनलालगंज	2,54,84,178
लखनऊ	53	बन्धरा	1,59,58,961
गोरखपुर	54	कम्पियरगंज	1,44,44,894
कोशाम्बी	55	दारानगर	1,55,44,826
कोशाम्बी	56	पूरव परिचन शरीरा	1,81,22,992
योग-			88,87,30,470

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
(भवन वर्ग)

पत्रांक: 52 / 334वी०पी०वि०/2020

दिनांक: 02/3/2021

सेवा में

मुख्य महाप्रबन्धक (प्रथम)

कन्सल्टेशन एण्ड डिजाइन सर्विसेज

उत्तर प्रदेश जलनिगम टी०सी०-38-वी०,

विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में सृजित 56 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक-36/सी०जी०एम०-1/014/001, दिनांक 24.02.2021।

महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दि० 24.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में नव सृजित 56 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन घेट करने हेतु प्रेषित किया है।

उक्त आगणनों के परीक्षणोपरान्त लागत निम्नानुसार, निम्न टिप्पणी के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	प्रस्तुत आगणन की लागत (रु० लाख में)	परीक्षणोपरान्त लागत (रु० लाख में)
1.	वित्तीय वर्ष 2019-20 में नव सृजित 56 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन निर्माण	रु० 148.00	रु० 147.86

1. आगणन में प्राविधानित मदों की मात्राओं को यथावत मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है। मात्राओं के सही होने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
2. आगणन में 12.00% GST का प्राविधान किया गया है जो नियमानुसार देय होगा।
3. आगणन में 1.0% लेबर सेस का प्राविधान किया गया है जो नियमानुसार देय होगा।
4. कार्यदायी संस्था हेतु 12.5% सेन्टेज चार्जेज का प्राविधान किया गया है जो नियमानुसार देय होगा।
5. आगणन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्राविधान किया गया है।
6. आगणन में फायर फायटिंग हेतु प्राविधान किया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार आगणन दो प्रतियों में।


2/3/2021
मुख्य अभियन्ता (भवन)